1.	सुरत सिंह नेगी		[signature]
2.	कबेर सिंह		[illegible]
3.	विमल नौटियाल		[signature]
4.	भरत सिंह पंवार	वार्ड सदस्य	Bharat Siman
5.	गजेन्द्र सिंह राणा		[signature]
6.	लक्ष्मण सिंह		L Singh
7.	जगदीश पंवार	(उपप्रधान)	जगदीश
8.	[signature]	वार्ड सदस्य	सरोज
9.	विनोद	वार्ड सदस्य	
10.	सरोज	वार्ड सदस्य	

Photocopy Attested

[signature]

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

(267)

कार्यालय
ग्राम पंचायत द्वारा
तहसील–देहरादून, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम द्वारा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (3.0100 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, 0.9100 है0 नाप भूमि) वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.........
वि0ख0–रायपुर, देहरादून

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत
दि0 27/9/14
वि0ख0 रायपुर देहरादून